प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 5163/2007

याचिकाकर्ता : मोईनुद्दीन कुरैशी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु 30 जून 2010 को सूचीबद्ध किया जाए

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 5163/2007

याचिकाकर्ता : मोईनुद्दीन कुरैशी

बनाम

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ: सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित : श्री एन.के.व्यास, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता।
श्री एन.एन.रॉय, पैनल अधिवक्ता वास्ते राज्य/उत्तरवादी क्र. 1।
श्री के.आर.नायर, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र. 2, 7 एवं 9।
श्री जितेंद्र पाली, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र. 3।
श्रीमती फ़ौज़िया मिर्ज़ा अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र. 6।
श्री के.आर.नायर, अधिवक्ता वास्ते हस्तक्षेपकर्ता- सैयद आलिम।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(30 जून, 2010 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता यह निर्देश प्राप्त करना चाहता है कि उत्तरवादी संख्या 3 से 11 को वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से रोका जाए, और आगे यह निर्देश दिया जाए कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नए वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन तक कोई नीतिगत निर्णय लिए बिना वक्फ बोर्ड के कार्यों का प्रबंधन करें।

2. संक्षेप में तथ्यों का सार यह है कि याचिकाकर्ता सुन्नी मुस्लिम संप्रदाय का अनुचारी है और वह एक वक्फ में रुचि रखने वाला व्यक्ति है। राज्य सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1995') की धारा 13 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य, जो की उत्तरवादी क्र.1 है, के लिए एक वक्फ बोर्ड का स्थापना किया, जिसे अधिसूचना दिनांक 06.12.2001 (अनुलग्नक पी/1) के द्वारा जारी किया गया। और अधिनियम, 1995 की धारा 14(1)(2) के अनुसार सदस्यों का नियुक्ति किया गया। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 11.12.2001 को राजपत्र (अनुलग्नक पी /2) में किया गया। एक सैयद अशफाक हाशमी नामक व्यक्ति ने इस अधिसूचना दिनांक 06.12.2001 को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्र. 2683/2001 प्रस्तुत किया था। विद्वान एकल पीठ ने दिनांक 26.12.2001 (अनुलग्नक पी/3) के आदेश द्वारा उक्त अधिसूचना के संचालन पर स्थगन का आदेश पारित किया था। इसके पश्चात, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने अधिनियम, 1995 की धारा 13(1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11.12.2001 (अनुलग्नक पी/2) की अधिसूचना में

संशोधन कर, 21.07.2003 को नई अधिसूचना (अनुलग्नक पी/4) जारी किया और कुछ सदस्यों की नियुक्ति कर वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया और उत्तरवादी क्रमांक 11 को दिनांक 03.09.2005 (अनुलग्नक पी/4ए) के माध्यम से बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया था। तद्पश्चात, विद्वान खंडपीठ द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2683/2001 कि सुनवाई की गई, और दिनांक 26.12.2001 के अंतरिम आदेश को दिनांक 13.07.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/5) द्वारा निरस्त कर दिया गया, यह कहते हुए कि आक्षेपित अधिसूचना के माध्यम से गठित वक्फ बोर्ड की वैधता मुख्य रिट याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। अंततः, दिनांक 10.01.2006 को विद्वान खंडपीठ ने उक्त रिट याचिका का निस्तारण करते हुए यह निर्णय दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के गठन में किसी प्रकार की अवैधानिकता या अनियमितता का कोई आधार नहीं पाया गया है।

3. श्री एन.के.व्यास, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अधिनियम, 1995 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य का कार्यकाल, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, पाँच वर्ष का होता है। उत्तरवादी क्र. 1 ने दिनांक 11.12.2001 को वक्फ बोर्ड की गठन अधिसूचना जारी की थी, और नतीजतन कार्यकाल 10.12.2006 को समाप्त हो गया था। इसके बावजूद उत्तरवादीगण क्र.3 से 11, वक्फ बोर्ड के पद पर बने हुए हैं, जो कि अधिनियम, 1995 के विपरीत और अवैधानिक है और इस कारण याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी क्र. 1 और 2 को अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने हेतु सूचना दिनांक 20.06.2007 (अनुलग्नक पी/7) जारी किया गया था। श्री व्यास ने आगे यह तर्क भी दिया कि उत्तरवादी क्र. 1 ने उक्त सूचना का कोई जवाब नहीं दिया, परंतु उत्तरवादी क्र. 2 ने अपने उत्तर (अनुलग्नक पी/8) में यह कहा कि चूँकि स्थगन आदेश उनके पक्ष में प्रभावी था, अतः यह नहीं कहा जा सकता की बोर्ड का कार्यकाल 10.12.2006 को समाप्त हो गया था। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने यह भी उल्लेख किया कि बोर्ड ने वास्तव में अपना कार्य स्थगन आदेश हटने के पश्चात् 13.07.2005 को ही प्रारंभ किया था, जो कि उत्तरवादी क्र. 1 द्वारा 21.07.2003 को जारी अधिसूचना के अनुसार था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया की वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 15 में निर्दिष्ट पाँच वर्ष की अवधि के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 12.07.2010 को समाप्त होना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री व्यास ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद, उत्तरवादी क्र. 1 ने अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि उत्तरवादी क्र. 1 को यह निर्देश दिया जाए कि वह उत्तरवादी क्र. 3 से 11 तक को वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से रोके, तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वे राज्य सरकार द्वारा नया वक्फ बोर्ड पुनर्गठित किए जाने तक किसी भी नीतिगत निर्णय को लिए बिना केवल वक्फ बोर्ड के कार्यों का प्रबंधन करें।

5. दूसरी ओर, श्री एन.एन.रॉय, राज्य/उत्तरवादी क्र. 1 के लिए विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्री के. आर. नायर, उत्तरवादी क्र. 2, 7 और 9 के अधिवक्ता, श्री जितेन्द्र पाली, उत्तरवादी क्र. 3 के अधिवक्ता तथा श्रीमती फ़ौज़िया मिर्ज़ा, उत्तरवादी क्र. 6 की अधिवक्ता ने क्रमशः यह प्रस्तुत किया कि सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष सहित, बोर्ड की स्थापना पर निर्भर नहीं करता है। एक बार जब इस न्यायालय द्वारा अधिसूचना पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया, तो अध्यक्ष/सदस्य अधिनियम, 1995 की धारा 15 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार पद पर बने नहीं रह सकते थे। अतः वे अध्यक्ष सहित पाँच वर्षों की अवधि के लिए सदस्य बने रहने के अधिकारी हैं। बोर्ड का पुनर्गठन

अधिसूचना दिनांक 21.07.2003 (अनुलग्नक पी/4) के माध्यम से किया गया है, जो इस याचिका में चुनौती के अधीन नहीं है।

6. पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना गया, तथा अभिवचनों और उनसे अनुलग्न दस्तावेज़ों का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार, यह सूत्र-*"ऐक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रैवाबिट"* (अर्थात् न्यायालय की क्रिया से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए) सिद्धांतपूर्ण रूप से लागू होता है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2001 को अधिसूचना दिनांक 06.12.2001 पर स्थगन आदेश दिए जाने के कारण उस अधिसूचना को प्रभावी नहीं किया जा सका और वह मात्र कागज़ पर ही बना रहा। तत्पश्चात, दिनांक 21.07.2003 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) द्वारा माननीय युगल पीठ ने दिनांक 13.07.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/5) द्वारा दिनांक 26.12.2001 के अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया और यह धारित किया की दिनांक 06.12.2001 की आक्षेपित अधिसूचना द्वारा गठित वक्फ बोर्ड की संरचना मुख्य रिट याचिका, अर्थात् रिट याचिका क्र. 2683/2001 के परिणाम पर निर्भर करेगा। उक्त रिट याचिका अंततः दिनांक 10.01.2006 (अनुलग्नक पी/6) को निरस्त कर दिया गया था।

8. इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 06.12.2001 से प्रभावी पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत, उक्त अधिसूचना के तहत नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिनियम, 1995 की धारा 14 सह पठित धारा 15 के आधार पर समाप्त हो जाएगा। अधिनियम, 1995 की धारा 13 वक्फ बोर्ड की स्थापना के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का प्रावधान करती है। धारा 13 की उपधारा (3) के अनुसार, वक्फ बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी। सुविधा हेतु, अधिनियम, 1995 की धाराएँ 13, 14 और 15 नीचे दी जा रही हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **13. निगमन-** (1) जिस तिथि से राज्य सरकार इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी, उस तिथि से एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा।
>
> (2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के बावजूद, यदि किसी राज्य में शिया वक्फों की संख्या राज्य के कुल वक्फों की संख्या का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है, या यदि राज्य में शिया वक्फ संपत्तियों की आय, राज्य के सभी वक्फ संपत्तियों की कुल आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सुन्नी वक्फों और शिया वक्फों के लिए पृथक-पृथक वक्फ बोर्ड स्थापित कर सकती है, जिनके नाम अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
>
> (3) यह बोर्ड एक निगम निकाय होगा, जिसमें शाश्वत उत्तराधिकारिता और एक सामान्य मुद्रा होगी। इसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और विनियमित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन उस संपत्ति का हस्तांतरण करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत करेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

14. बोर्ड की संरचना-(1) किसी राज्य या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(**a**) एक अध्यक्ष**;**

(**b**) एक या अधिकतम दो सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, निम्नलिखित निर्वाचन मंडलों से चुना जाएगा—

(**i**) राज्य के अथवा, जैसा भी मामला हो, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली के मुस्लिम संसद सदस्य,

(**ii**) राज्य के विधानसभा के मुस्लिम सदस्य, राज्य विधिज्ञ परिषद के मुस्लिम सदस्य, तथा ऐसे वक्फ़ों के मुतावल्ली जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे अधिक हो,

(**c**) एक या अधिकतम दो सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रसिद्ध मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाएगा;

(**d**) एक या अधिकतम दो सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस्लामी धर्मशास्त्र में मान्यता प्राप्त विद्वानों में से नामित किया जाएगा;

(**e**) राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो।

(2) उपधारा (1) की धारा (**b**) में निर्दिष्ट सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से, उस प्रकार किया जाएगा जैसा कि नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपबंध यह है कि**,** जहाँ मुस्लिम सदस्य की संख्या संसद, राज्य विधानसभा या राज्य विधिज्ञ परिषद, जैसा भी मामला हो, में केवल एक है, तो ऐसे मुस्लिम सदस्य को बोर्ड का निर्वाचित सदस्य घोषित किया जाएगा**।**

आगे यह भी उपबंध है कि, जहाँ उप-धारा (1) की धारा (**b**) के उप-खंड (**i**) से (**ii**) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है, वहाँ **पूर्व** मुस्लिम सदस्य — संसद, राज्य विधानसभा या राज्य विधिज्ञ परिषद का, जैसा भी मामला हो — निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे।

(3) इस धारा में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है — और इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया गया है — कि उप-धारा (1) की धारा (**b**) के उप-खंड (**i**) से (**iii**) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के लिए **निर्वाचक मंडल का गठन करना व्यावहारिक रूप से** संभव नहीं है**,** तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने विवेकानुसार ऐसे व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित कर सकती है, जैसा वह उपयुक्त समझे।

(4) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, **हर समय**, नामित सदस्यों की संख्या से **अधिक होनी चाहिए**, सिवाय उन परिस्थितियों के जो उप-धारा (3) में दी गई हैं।

(5) जहाँ अनेक शिया वक्फ़ (**Shia Wakfs**) हैं, परंतु पृथक शिया वक्फ़ बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, वहाँ उप-धारा (1) में वर्णित श्रेणियों में से कम-से-कम एक सदस्य शिया मुस्लिम होगा।

(6) शिया या सुन्नी सदस्यों की संख्या का निर्धारण करते समय राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले शिया वक्फ़ और सुन्नी वक्फ़ों की संख्या एवं मूल्य क्या हैं, और सदस्यों की नियुक्ति यथासंभव उसी निर्धारण के अनुसार की जाएगी।

(7) दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में बोर्ड में कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक पाँच सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और ये सदस्य उप-धारा (1) में निर्दिष्ट श्रेणियों में से चुने जाएंगे:

यह उपबंध है कि बोर्ड में एक मुतावल्ली सदस्य के रूप में अवश्य होगा।

(8) जब भी बोर्ड का गठन या पुनर्गठन किया जाएगा, तो उस उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बोर्ड का अध्यक्ष चुनेंगे।

(9) बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से राजपत्र में की जाएगी।

15. पदावधि - बोर्ड के सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड का गठन किसी सदस्य के कार्यकाल, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, पर निर्भर नहीं है, जैसा कि अधिनियम, 1995 की धारा 15 में निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम, 1995 की धारा 3(**h**) में "सदस्य" की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार सदस्य का अर्थ बोर्ड का सदस्य है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है। यदि बोर्ड एक निगमित निकाय है, जिसमें शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा है, तो केवल सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। सैयद अलीम अमन और शेख मोहम्मद की नियुक्ति संबंधी पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि उन्हें 20.02.2007 की अधिसूचना (अनुलग्नक आर/3-1) द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए सदस्य नियुक्त किया गया था। उत्तरवादी क्र. 3, मोहम्मद सलीम अशरफी को 11.08.2005 की अधिसूचना द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तथा उत्तरवादी क्र. 11, मोहसीना किदवई को दिनांक 03.09.2005 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी/4**A**) द्वारा बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया, जो कि दिनांक 26.12.2001 की अंतरिम स्थगन आदेश के द्वारा 13.07.2005 (अनुलग्नक पी/5) को निरस्त होने के उपरांत किया गया था।

10. प्रकरण की परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पहली अधिसूचना को दिनांक 26.12.2001 के अंतरिम आदेश (अनुलग्नक पी/3) के कारण प्रभावी नहीं किया गया था, जिसे 13.7.2005 (अनुलग्नक पी/5) को समाप्त कर दिया गया, और बोर्ड का पुनर्गठन अधिसूचना दिनांक 21.07.2003 (अनुलग्नक पी/4) के माध्यम से किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि सदस्यों का कार्यकाल वक्फ बोर्ड की संरचना/स्थापना की तारीख से समाप्त हो गया, जैसा कि अधिनियम, 1995 की धारा 13 को धारा 14 के साथ पढ़ने पर प्रतीत होता है। सदस्य की नियुक्ति बोर्ड की स्थापना पर निर्भर करती है। अधिनियम, 1995 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत जारी

अधिसूचना के अनुसार, वे पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर रहते हैं।

11. "शाश्वत उत्तराधिकार" शब्द का अर्थ यह है की संस्था का निरंतर उत्तराधिकार तब तक बना रहना जब तक वह अस्तित्व में है, न कि उसकी अवधि को परिभाषित करना। इसे एडवांस्ड लॉ लेक्सिकोन , पी. रमनाथ अय्यर, तृतीय संस्करण, 2005 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है —

> **शाश्वत उत्तराधिकार**. "शाश्वत उत्तराधिकार" शब्द का प्रयोग किसी कंपनी को निरंतर अस्तित्व प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कंपनी तब तक लगातार अस्तित्व में बनी रहती है जब तक वह विधिक रूप से अस्तित्व में है, और यह शब्द उसकी अवधि को परिभाषित करने के लिए नहीं होता।
> किसी निगम का शाश्वत उत्तराधिकार यह दर्शाता है कि — शेयरधारकों या अधिकारियों में परिवर्तन होने के बावजूद, कंपनी तब तक निरंतर बनी रहती है जब तक वह विधिक रूप से अस्तित्व में है।
> कंपनी अपने सदस्यों के निधन या प्रस्थान के बाद भी जारी रहती है। कंपनी एक स्वतंत्र विधिक अस्तित्व होती है, जो अपने सदस्यों से अलग होती है, और केवल उसके समापन के पश्चात ही विधिक रूप से अस्तित्व विहीन मानी जाएगी।
> *(बीमा; बैंकिंग; अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन)*
> "सामान्य नियम के अनुसार— 'शाश्वत उत्तराधिकार' जैसा कि चार्टर में प्रयोग किया जाता है, अक्सर इस प्रावधान के साथ होता है कि निगम का अस्तित्व कुछ वर्षों की अवधि तक सीमित होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कंपनी अनंत काल तक चलेगी, बल्कि यह कि कंपनी को निरंतर और अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त रहेगा, जब तक वह एक निगम के रूप में विधिक रूप से अस्तित्व में बनी रहेगी, और यह उसकी अवधि निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं होता।" 18 एम जुर. 2डी, कॉरपोरेशंस एस.69, ऐट 883 (1985)."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. सर्वोच्च न्यायालय ने *मोहम्मद गाजी बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य*[1] में निम्नलिखित अवधारित किया हैः

> "7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, साम्या का सिद्धांत *"ऐक्टस क्यूरिए नेमिनेम ग्रैवाबिट"* — अर्थात् *न्यायालय का कोई कार्य किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचाना चाहिए* — इस प्रकरण में लागू होता है। यह सिद्धांत न्याय एवं सद्विवेक पर आधारित है, जो विधि के प्रशासन हेतु एक सुरक्षित एवं निश्चित मार्गदर्शक का कार्य करता है। एक अन्य सिद्धांत *"लेक्स नॉन कॉजिट ऐड इंपॉसिबिलिया" —कानून किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो उसके लिए असंभव हो* — भी इस मामले में प्रासंगिक है। विधि एवं उसके प्रशासन को इस प्रकार समझा जाता है

[1] (2000) 4 एसीसी 342

कि वह असंभव कार्यों को करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करने का कोई अभिप्राय नहीं रखता, और कानून के प्रशासन को विशिष्ट मामलों के विचार में इस सामान्य अपवाद को अपनाना आवश्यक है। उपरोक्त सिद्धांतों की प्रयोज्यता का अनुमोदन इस माननीय न्यायालय द्वारा *राज कुमार डे बनाम तारापदा डे* तथा *गुरशरण सिंह बनाम नई दिल्ली नगर समिति* मामलों में किया जा चुका है।"

13. उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में प्रतिपादित अनुपात का अनुसरण तत्पश्चात *पद्म सुंदरा राव (मृत) एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य*[2] तथा *शकुन्तला बाई एवं अन्य बनाम नारायण दास एवं अन्य*[3] के मामलों में भी किया गया।

14. वक्फ बोर्ड की स्थापना किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं, बल्कि शाश्वत उत्तराधिकार के आधार पर की जाती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की जाती है। अतः प्रत्येक सदस्य को, उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना के अनुसार, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक कार्य करने का अधिकार प्राप्त है।

15. उपर्युक्त विवेचना तथा उल्लिखित कारणों के आलोक में, यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

16. व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ……Shreyas Nayak (Advocate)……...

[2] (2002) 3 एसीसी 533
[3] (2004) 5 एसीसी 772